## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

नजरसानी संख्या 254 / 2016
आरसीएमएस नं0 2016 / 00250
नजरसानी अन्तर्गत धारा 86 भू– राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 5 राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट 1954 एवं आदेश 47 नियम 1 सीपीसी

1. सतवीर पुत्र श्री मनफूल वल्द गुगनराम वल्द बुधराम जाति जाट ढाका निवासी गांव बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल आबाद गांव मेरी अकबरपुर उकलाना मण्डी जिला हिसार, हरियाणा।
2. राजेन्द्र सिह } पिसरान मनफूल वल्द बुधाराम जाति जाट निवासी
3. जय सिह } बेर तहसील भादरा हाल आबद गांव मेरी अकबरपुर तहसील अकलाना मण्डी, जिला हिसार, हरियाणा जरिये मुखत्यार खास सतवीर पुत्र श्री मनफूल वल्द गुगनराम वल्द बुधराम जाति जाट ढाका निवासी गांव बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल आबाद गांव मेरी अकरपुर तहसील उकलाना मण्डी जिला हिसार (हरियाणा)

–नजरसानीकर्ता (अपीलाण्ट)

बनाम

1. देवीराम पुत्र ठाकरराम वल्द गणपतराम वल्द बुधाराम
2. हवासिंह }
3. रणधीर } पिसरान अमीलला वल्द गणपतराम वल्द बुधारमा जाति ढाका
4. जगदीश } निवासीगण गांव बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. रामजीलाल वल्द गणपतराम वल्द बुधाराम जाति जाट निवासी गांव बेर तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

–रेस्पोडेण्ट

नजरसानी विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.07.2016

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 3/2010 बअनवानी सतवीर आदि बनाम देवीराम आदि

श्री हरिसिंह स्याग अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1,3,4

श्री राजेश कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 6

निर्णय दिनांकः- 21.07.22

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट्स/अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के पूर्वज गणपत वल्द बृद्धा ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि का स्थाई आवंटन हेतु एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.02.1957 को प्रश्नगत भूमि का स्थाई आवंटन किया जिससे व्यथित होकर ने अपील संख्या 3/2010 सतवीर बनाम देवीराम लगभग 50 वर्ष बाद प्रस्तुत की जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.07.2016 को खारिज की, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह नजरसानी प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. नजरसानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि आदेश जेर नजरसानी अदालत खिलाफ कानून, न्याय, नियम रूहेदाद मिसल व खिलाफ प्राकृतिक इन्साफ के पारित किये जाने के कारण काबिले इकखराजी है। न्यायालयद्वारा अपने निर्णय में सम्पति हाजा मौरूसी व पैतृक होना माना है व आवंटन की बाबत गुगन को भूम आवंटित क्यों नहीं हुई है ये तथ्य आवंटन के समय जांच का विषय था इस तथ्य की जांच माननीय न्यायालय द्वारा नहीं करवाते हुए जो निर्णय समस्त साक्ष्य नजरसानीकर्तागण के पक्ष में होते हुए जो निर्णय प्राईमा फैसी पेटेन्ट एरर ऑफ दा फेस ऑफ रिकार्ड होते हुए जो निर्णय पारित किया है वो कानूनन घोर त्रूटिकारक है। खसरा गिरदावरी जो कि गैर नजरसानी कर्ता के दादा गणपत वल्द बुधा की मानकर जो कि वास्तव में गणपतराम नाई मृतक व उसके पुत्र के नाम होते हुए व पर्चा खतौनी आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रिकार्ड आवंटन आदेश 1957 के बाद गणपतराम के नाम दर्ज होते हुए उसे सही मानकर जो निर्णय पारित किया है वह निरस्तनीय है। माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो ब्यान गणपतराम व अन्य के जो कि एक पर्ची पर लिखे हुए को न्यायालय के ब्यान मानकर जो निर्णय पारित किया गया है वो गलती रिकार्ड से साबित होते हुए माननीय न्यायलाय का निर्णय निरस्तनीय है। माननीय न्यायलाय द्वारा नजरसानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व नजीरात जो कि लिखित बहस के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी का निर्णय में हवाला नहीं दिये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। नजरसानी अंदर मियाद है। अतः नजरसानी स्वीकार कर अपील सं0 3/2010 बअनवानी सतवीर बनाम देवीराम आदि में पारित आदेशदिनांक 20.07.2016 को निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन कियाकि न्यायालय हाजा द्वारा प्रश्नगत अपील को मियाद बाहर होने के कारण तथा गुणागुवुण पर दिनांक 20.07.2016 को खारिज कर दिया गया है। किसी भी निर्णय का पुर्नविलोकन तभी किया जा सकता है जबकि किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के मुख पर प्रकट होती है। अन्य कोई पर्याप्त कारण से नजरसानी के लिए यह आवश्यक है कि अभिलेख के मुख पर स्पष्ट त्रृटि का होना आवश्यक है। नजरसानीकर्ता ने ऐसा तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे अभिलेख के मुख पर कोई गलती/त्रुटि प्रकट होती हो। नजरसानी का दायरा सीमित है और नजरीसानी में पूर्व के निर्णय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि अभिलेख के मुख पर स्पष्ट गलती होती है। माननीय न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवकता ने अपने कथनें के समर्थन में 2011–12 आरआरटी सुप. पेज 424, 2019 आरआरटी पेज 229, 2019 आरआरटी पेज 101 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेण्ट्स/अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के पूर्वज गणपत वल्द बृद्धा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.02.1957 को प्रश्नगत भूमि का स्थाई आवंटन किया जिससे व्यथित होकर ने अपील संख्या 3/2010 सतवीर बनाम देवीराम लगभग 50 वर्ष बाद प्रस्तुत की जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.07.2016 को उसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया एवं साथ ही अपील भी खारिज कर दी । जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह नजरसानी प्रस्तुत की है।

7. किसी भी निर्णय का पुर्नविलोकन तभी किया जा सकता है जबकि किसी नये या महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता लगे अथवा नया तथ्य प्रकाश में आये या आदेश पारित करते समय उचित प्रयास के बावजूद भी प्रार्थी के ज्ञान में नहीं था अथवा प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया जा सका अथवा किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के मुख पर प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई पर्याप्त कारण से नजरसानी के लिए यह आवश्यक है कि अभिलेख के मुख पर स्पष्ट त्रृटि का होना आवश्यक है। नजरसानीकर्ता ने ऐसा तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे अभिलेख के मुख पर कोई गलती/त्रुटि प्रकट हेाती हो। नजरसानी का दायरा सीमित है और नजरसानी में पूर्व के निर्णय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि अभिलेख के मुख पर स्पष्ट गलती होती है। प्रश्नगत अपील 50 वर्ष के अधिक विलम्ब के कारण मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जा चुकी है। अतः नजरसानी खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर नजरसानी खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

21.7.22

(करतार सिंह पुनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़